

कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/शा0शि0ग्रेड II/सी.भ./2013-16 दिनांक 28.03.2017 के द्वारा मण्डल आवंटित अभ्यर्थियों का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II के पद हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के अनुसार पी.बी.2(9300-34800) ग्रेड पे-4200 के पद पर चयनोपरांत संलग्न सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए-II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या-15721/2015 गणेशनारायण माली व अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य रिट याचिकाओं में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 07.01.2016 के विरुद्ध आयोग/विभाग द्वारा दायर डी.बी सिविल याचिका तथा एतद्विषयक विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।

1. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण प्रति से मिलानकर उसकी एक-एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावें।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण कराया जावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत है, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 10/-रुपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।

5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/-रुपये के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे।

6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

7. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।

8. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगे।

9. अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न बिन्दुओं की जांच किये जाने के उपरांत ही कार्यग्रहण की कार्यवाही करावें :-

(अ) प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। उक्त प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व का होने पर नवीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करावें।

(ब) उक्त प्रमाण पत्र माता एवं पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित हैं। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो वह मान्य नहीं हैं।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30/04/2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किररी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

क्रसं	मैरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम ,पिता का नाम मय स्थाई पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	617a	BC WE	चंचल कुमारी / वृज राज सिंह गडगोड बहज , मोहल्ला -इन्दू तह0 डीग जिला भरतपुर	01-07-89	GENF	राउमावि नगर ,भरतपुर
2	715	BC WE	रितु सैनी / रामपाल सैनी 20 शक्ति मार्केट न्यू अनाज मण्डी रोड साकेत नगर आलनपुर ,स0मा0	05-08-90	OBCF	राउमावि फलोदीक्यारी ,खण्डार (स0मा0)
3	34	BC	हरविन्द कुमार पटेल / छेदी लाल मकान न0 एस-19 / 133-2के जदीद बाजार ,नदेसर झापणारी (उत्तर प्रदेश)	01-08-87	GENM	राउमावि रूपवास ,भरतपुर
4	515	BC	बिरमा राम माली / लुम्बाराम मु0पो0 बिराई तह0 व प0स0 बायडी जिला जोधपुर	12-12-87	OBCM	राउमावि न्यामदपुर, वैर (भरतपुर)
5	517	BC	मिर्जा फारुक बैग / मिर्जा वहीद बैग अशोक बिहार कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पटियाला बाग, धौलपुर	09-07-80	OBCM	राउमावि पुरानीछाबनी ,धौलपुर
6	522	BC	राजकुमार चौधरी / नारुराम चौधरी ढाणी सागर ग्राम पो. खेजरोली तह0 चोगू जिला जयपुर	25-12-82	OBCM	राउमावि खण्डीप, गंगपुरसिटी (स0मा0)
7	524	BC	मनीष मिरोक / रामस्वरूप मीपीओ माकसर 13 एफएफ तह0 श्री करनपुर जिला श्री गंगानगर	20-07-87	OBCM	राउमावि सायपुर ,करौली
8	530a	BC	ओमप्रकाश / मनफूल राम ग्राम -माडुवात, पो0 नरसिपुरा बाया गणेशगढ,तह0पदमपुर जिला श्री गंगानगर	11-09-74	OBCM	राउमावि बंसीपहाडपुर, रूपवास (भरतपुर)
9	1021	BC EX	राजवीर सिंह / शेर सिंह गांव नगला मुजा ,पो0 अखबाई (अकोला) जिला -आगरा ,उत्तरप्रदेश	15-07-74	GENM	राउमावि मांगरोल, धोलपुर
10	1033	BC EX	धर्मवीर सिंह यादव / फूल सिंह यादव नजदीक प्रकाश धर्मकांटा अलवर रोड ,पो0 बहरोड जिला -अलवर	10-07-65	OBCM	राउमावि जारगा,बसेडी(धौलपुर)

(गणेश कुमार धाकरे)
उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

30 दिनांक-17-04-2017

क्रमांक:-उनिगाशि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नि0व0शा0शि0/ 2017/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2)/कार्मिक (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/शा0शि0ग्रेड II/सी.म./2013-16 दिनांक 28.03.2017 के सन्दर्भ में।
- सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय,भरतपुर,धौलपुर,करौली एवं सवाईमाधोपुर
- सम्बन्धित संस्था प्रधान को उपर्युक्तानुसार एवं समय-समय राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश-निर्देश की अक्षरशः पालना हेतु।
- संबन्धित अभ्यर्थी द्वारा रफीड पोस्ट
- रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/वअ/सी0भ0/2011-12 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक-अग्रेजी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के अनुसार पी.बी.-2(9300-34800) ग्रेड पे-4200 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-अग्रेजी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के अनुसार पी.बी.-2(9300-34800) ग्रेड पे-4200 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।


संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

- 1- इनकी पात्रता एवं इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, एवं अन्य आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
- 2-नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वरथता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 3- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-ग /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 4-विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
- 5-राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाती है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 6-आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-
 - (अ) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
 - (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें।उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावें
- 7 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
8. यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
9. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगे।


वरिष्ठ अध्यापक :- अग्रेजी

क्र०सं०	मैरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापित स्थान
1	1133	BC	कृष्ण गोपाल सोनी / ब्रहमा नंद सोनी , ग्र०पो० नादौती तह० नादौती जिला करौली	15.07.87	OBCM	रामावि गढीलज्जा , सैपउ(धौलपुर)

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 30-04-2017 होगी । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।


(गणेश कुमार धाकरे)
उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर
दिनांक: 17-04-2017

- क्रमांक: उनिमाशि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नियु-वअ/2016/ 31
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
 - 2- प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
 - 3- शासन उपसचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
 - 4- शासन उपसचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
 - 5- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
 - 6- आयुक्त रा.मा.शि.अ.राजस्थान सरकार जयपुर
 - 7- निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
 - 8- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)-प्रथम/द्वितीय भरतपुर /धौलपुर /करौली/स०मा० को मूल आवेदन पत्र सहित
 - 9- संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि-----
 - 10- संबंधित आशार्थी (स्प्रीड डाक द्वारा)
 - 11- रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/वअ/सी0भ0/2011-12 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक-गणित के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के अनुसार पी.बी.-2(9300-34800) ग्रेड पे-4200 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थियों को वरिष्ठ अध्यापक-गणित के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के अनुसार पी.बी.-2(9300-34800) ग्रेड पे-4200 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।


संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

- 1- इनकी पात्रता एवं इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, एवं अन्य आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरांत ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
- 2-नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वरथता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 3- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-11 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 4-विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बंधी आशय का 10/-रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
- 5-राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन प्रदान की जाती है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 6-आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-
 - (अ) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
 - (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावें
- 7 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
8. यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
9. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगे।

वरिष्ठ अध्यापक :- गणित

क्र०सं०	मैरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम/पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापित स्थान
1	1890	SC	महावीर सिंह / बुढ़ी राम , ग्र०पो० इकलहरा ,तह०डीग जिला भरतपुर	17.02.76	SCM	रामावि आमरे की (राहिर) सपोटरा (करौली)

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 30-04-2017 होगी । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।



(गणेश कुमार धाकरे)
उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर

32

दिनांक: 17-04-2017

क्रमांक: उनिमाशि/भरत/माध्य/संस्था-1/फा-नियु-वअ/2016/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री राजस्थान सरकार जयपुर
- 2- प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- शासन उपसचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4- शासन उपसचिव, कार्मिक(क-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 5- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 6- आयुक्त रा.मा.शि.अ. राजस्थान सरकार जयपुर
- 7- निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
- 8- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)-प्रथम/द्वितीय भरतपुर /धौलपुर /करौली/स०मा० को मूल आवेदन पत्र सहित
- 9- संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि-----
- 10- संबंधित आशार्थी (पंजीकृत डाक द्वारा)
- 11-रक्षित पत्रावली


उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर